



राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक- प.6(32)प्र.सु./अनु-3/1991/

जयपुर, दिनांक 27/11/19

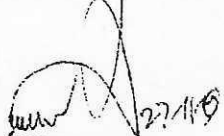
आदेश

राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद, 1980 के नियम 3, 4 व 5 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इस विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 06.06.2014 के अधिक्रमण में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद, का पुर्नगठन निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

1.	माननीय मुख्यमंत्री महोदय	
2.	राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	अध्यक्ष
3.	श्री दयाराम परमार, विधायक, खैरवाड़ा उदयपुर	उपाध्यक्ष
4.	श्री गणेश घोघरा, विधायक, डुंगरपुर	सदस्य
5.	श्री रामलाल मीणा, विधायक, प्रतापगढ़	सदस्य
6.	श्री मुरारी लाल, विधायक, दोसा	सदस्य
7.	श्रीमती इन्द्रा, विधायक, बामनवास, सवाईमाधोपुर	सदस्य
8.	श्री गोपाल लाल मीना, विधायक, जमवारामगढ़, जयपुर	सदस्य
9.	श्रीमती निर्मला सहरिया, विधायक, किशनगंज, बारां	सदस्य
10.	श्री जौहरीलाल मीना, विधायक, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़	सदस्य
11.	श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, विधायक, बागीदौरा	सदस्य
12.	श्री हरीश चन्द्र मीना, विधायक, देवली-उनियारा	सदस्य
13.	श्री कान्ती प्रसाद, विधायक, थानागाजी, अलवर	सदस्य
14.	श्री लक्ष्मण मीणा, विधायक, बस्सी	सदस्य
15.	श्रीमती रमीला खडिया, विधायक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा	सदस्य
16.	श्री रामकेश, विधायक, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर	सदस्य
17.	श्री लक्ष्मीनारायण पण्ड्या, पूर्व उप जिला प्रमुख, उदयपुर	सदस्य
18.	अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर	सदस्य
19.	प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर	सदस्य
20.	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	सदस्य सचिव

राजस्थान विधानसभा सदस्यों का मनोनयन आगामी विधानसभा चुनाव तक व अन्य गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन दो वर्ष के लिए होगा। उक्त परिषद स्थायी होगी तथा इसका प्रशासनिक विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगा।

आज्ञा से


(अरुण प्रकाश शर्मा)
शासन उप सचिव